

प्रेस नोट

दिनांक 19.06.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुराचार करने व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/23, धारा 376(2)(एन),504,506 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ नायाब पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू बाब नि0 ग्राम बुझवा परसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.06.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी थी कि विपक्षी ताज मोहम्मद उर्फ नायाब द्वारा उसके साथ शादी करने का झांसा देकर दुराचार किया गया है तथा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जानमाल की धमकी दी गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मनकापुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ नायाब को थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ताज मोहम्मद उर्फ नायाब पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू बाब नि0 ग्राम बुझवा परसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-131/23, धारा 376(2)(एन),504,506 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना खोड़ारे।
02. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
03. हे0का0 रामप्रकाश सिंह।
04. का0 मनोज कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.06.2024

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुराचार करने का वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/23, धारा 376(2)(एन),504,506 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ नायाब पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू बाब नि0 ग्राम बुझवा परसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.06.2024 को थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी थी कि विपक्षी ताज मोहम्मद उर्फ नायाब द्वारा उसके साथ शादी करने का झांसा देकर दुराचार किया गया है तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जानमाल की धमकी दी गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना खोड़ारे पर मु0अ0सं0-131/23, धारा 376(2)(एन), 504, 506 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 बनाम ताज मोहम्मद उर्फ नायाब के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी मनकापुर द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ नायाब को थाना खोड़ारे पुलिस टीम द्वारा बभनान रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ताज मोहम्मद उर्फ नायाब पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू बाब नि0 ग्राम बुझवा परसा थाना खोड़ारे, गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-131/23, धारा 376(2)(एन),504,506 भादवि, 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक थाना खोड़ारे।
02. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
03. हे0का0 रामप्रकाश सिंह।
04. का0 मनोज कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.06.2024, थाना कौडिया
जनपद गोण्डा।

थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कौडिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 144/2024, धारा 363, 376 भादवि व 3(2)(V)(A) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मंगल प्रसाद उर्फ शिवमंगल राजपूत पुत्र स्व0 धनई राजपूत निवासी ग्राम लालापुरवा मौजा दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा को थाना कौडिया पुलिस के द्वारा रामापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कौडिया क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कौडिया में मु0अ0सं0- 144/2024, धारा 363, 366 भादवि व 3(2)(V)(A) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम मंगल प्रसाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 19.06.2024 को वांछित अभियुक्त मंगल प्रसाद उर्फ शिवमंगल राजपूत पुत्र स्व0 धनई राजपूत निवासी ग्राम लालापुरवा मौजा दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा को थाना कौडिया पुलिस के द्वारा रामापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मंगल प्रसाद उर्फ शिवमंगल राजपूत पुत्र स्व0 धनई राजपूत निवासी ग्राम लालापुरवा मौजा दुबहा बाजार थाना कौडिया जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 144/2024, धारा 363, 376 भादवि व 3(2)(V)(A) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 गोपाल सिंह
02. हे0का0 प्रभाकर पाण्डेय
03. का0 नीरज सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.06.2024, थाना तरबगंज
जनपद गोण्डा।

थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2024, धारा 363, 376 भादवि व 3(2)(V)(A) एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आया 01 नफर वांछित अभियुक्त संतोष कुमार यादव पुत्र ढनमुन यादव निवासी साखीपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पुलिस के द्वारा दुर्जनपुर घाट से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादि की तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में मु0अ0सं0- 218/2024, धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 366, 376(3) भादवि व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 19.06.2024 को प्रकाश में आया अभियुक्त संतोष कुमार यादव पुत्र ढनमुन यादव निवासी साखीपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पुलिस के द्वारा दुर्जनपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. संतोष कुमार यादव पुत्र ढनमुन यादव निवासी साखीपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 218/2024, धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 5(J)(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 कुबेर तिवारी

02. उ0नि0 गौरव सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध की जा रही है विधिक कार्यवाही ।

शासन एवं यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशों के क्रम में दिनांक 11-06-2024 से 25-06-2024 तक वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आज दिनांक 15-06-2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों / मुख्य चौराहों पर गाडी में नियम विरूद्ध / अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों की चैकिंग करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है । जनपद में यह अभियान लगातार प्रचलित है । समस्त वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें एवं अपने वाहनों पर अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करें ।

प्रेस नोट
दिनांक 19.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर हूटर सायरन, प्रैशर हॉर्न, लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, काली फिल्म लगे एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों/मुख्य चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर नियम के विरुद्ध/ अवैधानिक रूप से लगे हुए हूटर सायरन, प्रैशर हॉर्न, लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर लाइट, काली फिल्म लगे वाहनों की चेकिंग करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महोदय द्वारा बताया गया की यातायात एवं सड़क सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने एवं बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु यातायात अपराधों के विरुद्ध दिनांक 11.06.2024 से 25.06.2024 तक विशेष अभियान चलाया गया है। जिसमें लाल-नीली बत्ती एवं हूटर सायरन का अवैध प्रयोग, प्रैशर हॉर्न, फ्लैशर लाइट, काली फिल्म लगे वाहनों, दो पहिया/चार पहिया वाहनों पर पुलिस क्लर्क, दो पहिया/चार पहिया वाहनों पर 30प्र0 शासन एवं भारत सरकार(अनुबंधित वाहनों को छोड़कर) लिखे जाने, दो पहिया वाहन में मोडिफाइड साइलेन्सर लगाने वालों को चेक कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा उनको यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 19.06.2024, थाना को0कर्मलगंज
जनपद गोण्डा।

थाना कर्मलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत षडयन्त्र के तहत नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के 02 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्मलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना को0कर्मलगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 258/2024, धारा 363, 376(2), 120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित नामजद 02 नफर वांछित अभियुक्तों 01. रामू यादव व 02. राम कुमार यादव को थाना कर्मलगंज पुलिस के द्वारा गोण्डा लखनऊ मार्ग ग्राम ढेमा गौरा सिंहनापुर के मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना को0 कर्मलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादि की तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्मलगंज में मु0अ0सं0- 258/2024, धारा 363, 376(2), 120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 01. रामू यादव व 02. राम कुमार यादव के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 120बी भादवि की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 19.06.2024 को नामजद अभियुक्तों 01. रामू यादव व 02. राम कुमार यादव को थाना कर्मलगंज पुलिस के द्वारा गोण्डा लखनऊ मार्ग ग्राम ढेमा गौरा सिंहनापुर के मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. रामू यादव पुत्र रामललित निवासी ग्राम अल्लीपुर गोकुला थाना कर्मलगंज, जनपद गोण्डा।
02. राम कुमार यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी मांझा रायपुर थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 258/2024, धारा 363, 376(2), 120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0कर्मलगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. अति0प्र0नि0 शम्भू सिंह
02. हे0का0 बृजेश सिंह
03. हे0का0 अरविन्दर सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 19.06.2024, मॉनिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का कारावास व रूपये 50,000/- अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी अशरफुल को 10 वर्ष का कारावास व ₹0 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में अभियुक्त अशरफुल पुत्र स्व0 दुलाल सरकार निवासी चौक बाजार थाना मुर्शिदाबाद जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिमी, बंगाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित पाठक, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार, कोर्ट मोहरीर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा द्वारा अभियुक्त अशरफुल को 10 वर्ष का कारावास व ₹0 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. अशरफुल पुत्र स्व0 दुलाल सरकार निवासी चौक बाजार थाना मुर्शिदाबाद जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिमी, बंगाल।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-325/21, धारा 304 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।